प्रषिक्षण एवं आर्थिक सहयोग के लिए शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का अध्ययन

Kirti Gautam[*], R.P.Gupta[*], Taruna Tiwari[#], Sunil Tiwari[#]

[*]Govt Girls P.G. College Rewa M.P. India. [#]A.P.S. University Rewa M.P. India.

प्रास्तावना :–

भारत विष्व का सबसे युवा देष है। यहॉ लगभग 64 प्रतिशत रोजगार के इच्छुक समशील एवं मेहनती युवा है। इन युवाओं को प्रषिक्षित करने के लिए एवं उनके हुनर या कौषल के विकास के लिए भारत सरकार ने विभिन्न ट्रेनिंग तथा कौषल विकास कार्यक्रम की शुरूआत की है। वर्तमान में युवाओं को षिक्षित और सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई क्रियान्वित एवं सफल होती अनेक कल्याणकारी योजनाएँ है। इन योजनाओं की सफलता इस बात पर आश्रित है कि युवाओं को रोजगार मिले तथा जो युवा स्वयं का व्यवसाय या सूक्ष्म लद्यु अथवा परम्परागत व्यवसाय को सफलतापूर्वक बढाना चाहते है। उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो।

कौषल विकास कार्यक्रम की सफलता एवं प्रषिक्षण प्राप्त युवाओं पर शासकीय नियम और नीतियों का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। सरकार अपने नियम नीतियों से कौषल विकास कार्यक्रम के हर पहलू जैसे– प्रषिक्षण के दौरान अनुषासन, निष्कासन ,अवकाष पात्रता ,तकनीकी और वित्तीय अभिगम, मानव संसाधन विकास,जागरूकता और अनुसन्धान ,नवाचार सुविधाओं की उपलब्धता आदि को प्रभावित कर सकती है। शासकीय नियम एवं नीतियॉ किसी भी कार्यक्रम की सफलता के कारण हो सकती है। इसलिए अति आवष्यक है, कि सरकार की नियत और छवि कौषल विकास कार्यक्रम की गति प्रदान करने वाली बनी रहे। भारत सरकार कौषल विकास कार्यक्रम की महता को समझते हुए कौशल विकास कार्यक्रम सफलता के लिए उपयुक्त नियम एवं नीतियॉ है। और कई योजनाओं और कार्यक्रमों का सृजन कर रही है। जिससे शसक्त भारत का सपना सच हो रहा है। तथा भारत को दुनियॉ की कौषल की राजधानी बनाई जा सके।

शासकीय योजनाए और कार्यक्रम

किसी भी कार्य में सफलता का मूल मंत्र दीर्घावधि की तैयार होती है। इसलिए सरकार समय–समय पर अपने नियम एवं नीतियों एवं योजनाओं पर बदलाव करती रहती हैं। वर्तमान सरकार रोजगार सृजन श्रमिक या उद्यमी उत्थान कौशल भारत–कुशल भारत के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए समय–समय पर

सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित करती है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है–

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना :– यह योजना 2015 में संचालित की गई है। जिसके अंतर्गत तीव्र स्तर एवं उच्च मानकों के साथ भारतीय युवाओं में कौशल का विकास करना जिससे भारत देश कौशल की राजधानी के रूप में स्थापित हो सके। हालांकि कौशल विकास के लिए भारतीय औद्योगिक संस्था लघु सूक्ष्म उद्यम विभाग एवं अन्य मंत्रालय संचालित हो रही हैं। फिर भी यह योजना कौशल विकास में गति प्रदान करने के लिए संचालित की गई है। जिसके अंतर्गत 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया है।[1]

सर्व शिक्षा अभियानः– यह योजना वर्ष 2001 से संचालित है, जिसे देश के प्रत्येक राज्यों के नागरिकों के लिए जारी किया है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे श्रमिक या उद्यमी जो स्थान बदल–बदल कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए सहायक हैं।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किये गये आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015–16 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1487.25 करोड, स्वच्छ भारत अभियन (शहरी के लिए 766.84 करोड़, सर्वशिक्षा अभियन के लिए 21661.44 करोड़, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 268.79 करोड़ तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 991.15 करोड़ का बजट था) भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित बजट 2015–16 तथा 2017–18 में प्रमुख कल्याण एवं कौशल विकास योजना का संक्षिप्त परिचय निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है।[2]

सारणी क्रमांक 1

प्रमुख योजना का बजटीय आवंटन व अंतर

प्रमुख योजना	वर्ष 2015–16 में व्यय का आकड़ा	वर्ष 2017–18 में बजटीय आंवटन	अंतर
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	1487.25	6042.81	4555.56
स्वच्छ भारत अभियान	76.84	2300	1533.16

[1] योजना, रोजगार एवं स्वरोजगार सितम्बर 2018 अंक–09, वर्ष 62

[2] कुरूक्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, अक्टूबर–18, अंक 12, वर्ष 64

(शहरी)			
सर्वशिक्षा अभियन राष्ट्रीय शहरी	21661.44	23500	1838.56
आजीवका मिशन	268.79	349	80.21
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	991.15	2924.26	1933.11

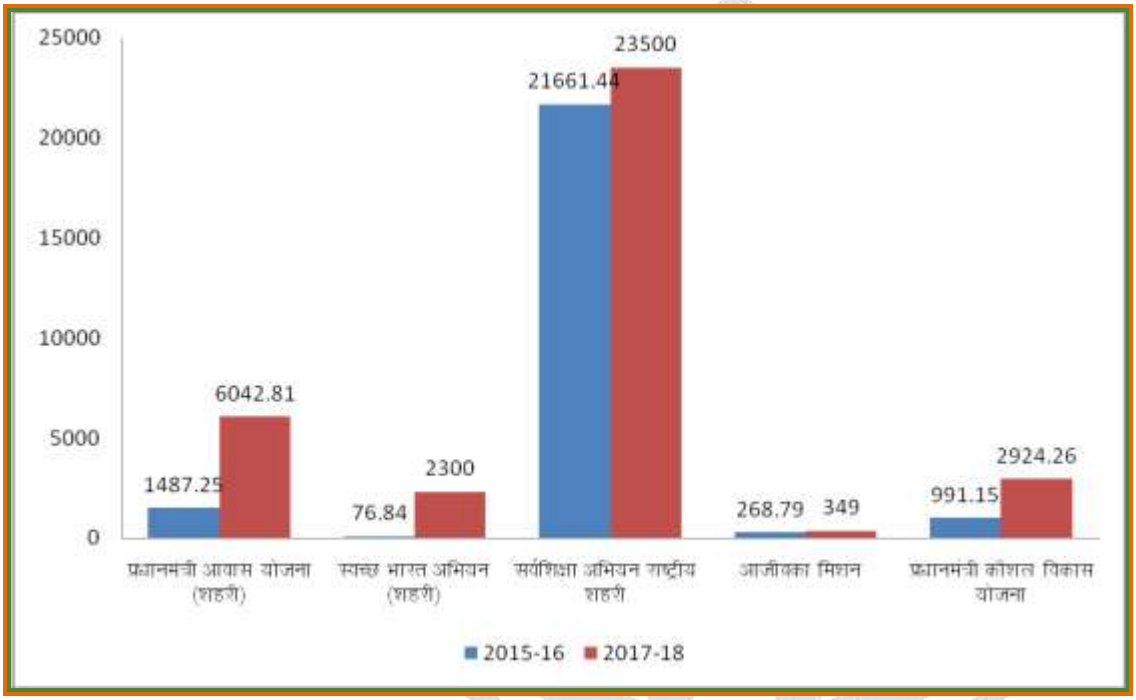

आरेख क्रमांक 1 : प्रमुख योजना का बजटीय आवंटन व अंतर

उपर्युक्त सारणी में प्रदर्शित व्यय एवं आवंटित बजट राशि करोड़ में अंकित की गई हैं। वर्ष 2017–18 के बजट में वर्ष 2015–16 के तुलना में कौशल विकास योजनाओं के लिए अधिक राशि का आवंटन हुआ जिससे यह स्पष्ट होता है, कि सरकार देश के युवाओं के हुनर या कौशल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। टेबल में कुछ प्रमुख योजनाओं के आवंटित राशि के अंतर या बढोत्तरी को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 2015–16 की व्यय राशि से लगभग 34 प्रतिशत राशि वर्ष 2017–18 के बजट में राशि आवंटित की गई उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है, कि सरकार उद्यमी एवं श्रमिकों के कौशल विकास के लिए निरंतर ध्यान दे रही हैं, तथा श्रमिकों को उचित सुविधाएँ तथा समान अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत है।

▶ आर्थिक सहयोग एवं रियायत :–

कौषल विकास कार्यक्रम से प्रषिक्षण प्राप्त करने के पष्चात् स्वरोजगारियों और स्वव्यवसायियों के समक्ष निधियों की उपलब्धता एक मुख्य समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर कई योजनाएँ एवं रियायतें जाती रही हैं। इन योजनाओं का उद्देष्य समाज के कमजोर तबके को वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है, कि आर्थिक सहयोग उन्हें वहन करने योग्य मूल्य पर मिले। आर्थिक सहयोग के अंतर्गत बैंकों द्वारा उपलब्ध दुर्घटना बीमा या जीवन बीमा आदि आते है। भारत सरकार ने अटल पेंषन योजना के तहत भी आर्थिक सहयोग देने का प्रयास किया है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के बावजूद देष के श्रमिकों तथा स्वरोजगारियों तक वित्तीय सेवाओं की जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री जन–धन योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अटल पेंषन योजना और बैंको द्वारा शुरू किये गये मिनी बैंक आदि से ना सिर्फ रोजगार में वृद्वि हुई है। बल्कि स्वरोजगारियों एवं स्व–व्यवसायियों को भी आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजनाः–

प्रधानमंत्री जन–धन योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण तथा सफल योजना हैं। जिसके माध्यम से देष की करोडों जनसंख्या लाभान्वित हुई है। इसकी शुरूआत 15 अगस्त 2014 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न सुविधाएँ है।

जीवन बीमाः–

- बिना पैसे के खाता खोलना
- ऋण
- ए0टी0एम0कार्ड
- एस0एम0एस0 आदि

5 दिसंबर 2018 को 33 करोड 46 लाख खाते खोले गये थे। जिनमें 84,815 करोड रूपये जमा हुए थे। जन –धन खातों की जानकारी को निम्न तालिका के द्वारा प्रदर्षित किया गया है।

सारणी क्रमांक 2

दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या (करोड में)

बैंक	ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों की संख्या	शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों की संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या	कुल लाभार्थियों की संख्या	खातों में जमा (करोड रूपयें में)	लाभार्थियों को जारी हुये कार्ड की संख्या
स्रकारी बैंक	14.53	12.37	14.15	26.91	67803.72	21.72
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4.63	0.87	3.03	5.51	14582.20	3.75
निजी बैंक	0.62	0.42	0.55	1.04	2421.62	0.97
कुल	19.79	13.67	17.73	33.46	84814.54	26.44

इस योजना में KYC (ग्राहको को जाने) के नियमों का सरलीकरण किया गया है, तथा बैंक खाते का संतोषजनक संचालन करने वाले ग्रामीणों को ओवर ड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत ग्रामीणों को एक निषिचित राषि ग्राहको को आहरित करने की सुविधा दी जाती है। यह एक प्रकार का ऋण है, जिसे समय सीमा के अंदर ऋण को चुकता करता है। यह योजना स्वरोजगारीयों एवं स्वव्यवसायियों तथा स्वरोजगार शुरू करने एवं रोजगार सृजित करने का सरल माध्यम बन गई है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः–

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा लोगों को ऋण प्राप्ति में सुविधा हुई। आमतौर पर छोटे व्यवसायियों को इस योजना का सर्वाधिक लाभ हुआ है, छोटे कारोबारी एवं व्यवसाय करने वाले बिना बैक से जुडे कारोबार करते है। लेकिन इस योजना की शुरूआत के पष्चात् अधिकांष छोटे स्तर पर व्यवसाय करने वाले या श्रमिक बैंक से जुडे गये है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी बैंक के अलावा (MFI) माइक्रो फाइनेंस, गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी (NBFCA), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी बैंक आदि से भी मुद्रा लोन प्राप्त किया जा सकता है।

इससे छोटे स्तर के स्वरोजगार एवं स्वव्यवसायी लाभान्वित हो रहे है। कौषल विकास प्रोग्राम से प्रषिक्षण प्राप्त करने के पष्चात् स्वयं का व्यवसाय करने के लिए प्रथम आवष्यकता धन की उपलब्धता होती है। जिससे वे स्वयं की दुकान एवं कारखाना खोल सकते है।[3] सामान्यतः ऋण के लिए सरकारी बैंको में लम्बी लाइन तथा कई दस्तावेजों की आवष्यकता होती है। जिसमें काफी समय लगता है। कठिनाइयों को मुद्रा की योजना के कारण कम किया है। वित्त वर्ष 2018 में 4 करोड 81 लाख मुद्रा लोन के खातें खोले गये थें और 246437 करोड रूपयें लाभार्थियों के लिए स्वीकृत किये गये थे। वित्त वर्ष 2018–19 के 7 दिसंबर तक लगभग 2.81 करोड प्रस्ताव आये। मुद्रा ऋण योजना की मदद से लोग स्वरोजगार व रोजगार कर रहे है।

मुद्रा योजना के अंतर्गत कई तरह की सुविधाएँ उपलब्ध है जिनमें प्रमुख सुविधाओं को निम्न फिगर/chart के द्वारा समझाया गया हैं।

[3] योजना, भारत में हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग अप्रैल 2016 अंक–04, वर्ष 63 ISSN- 0971-8397

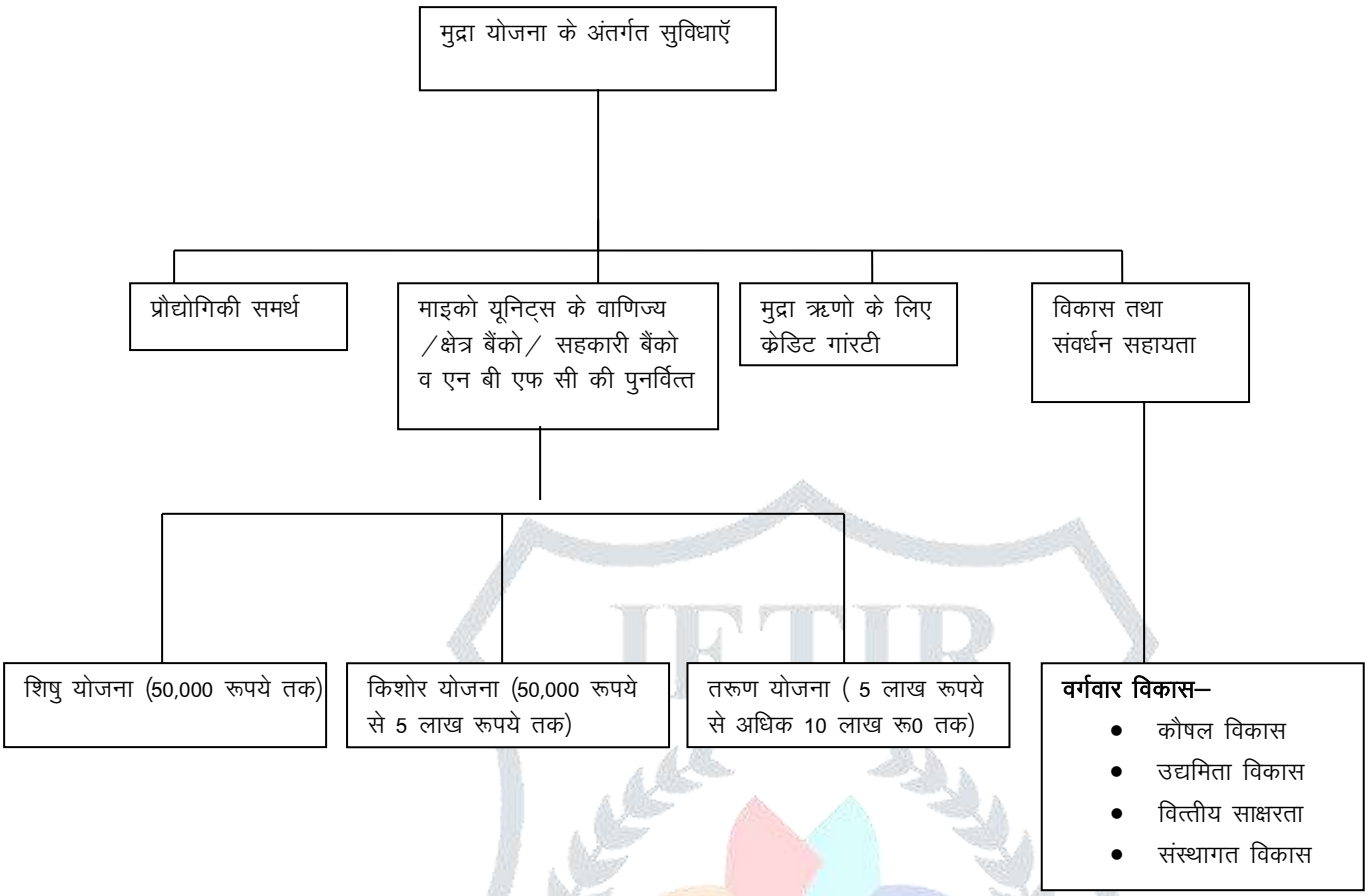

इस योजना के अंतर्गत छोटे उद्यमियों को 5 से 10 लाख रू0 तक के कर्ज की सुविधा उपलब्ध है। सभी अनुसूचित सार्वजनिक व निजी बैंक जो पिछले 3 साल से लाभ में चल रहें है। जिनकी नेटवक्र न्यूनतम 100 करोड रू0 है अनर्जक अस्तियॉ 3 प्रतिषत तक और पूॅजी पर्याप्त अनुपात न्यूनतम 9 प्रतिषत है प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध करा सकते है। प्रमुख प्रावधान –

- कोई संपार्ष्विक प्रतिभूति नहीं
- कोई ऋण प्रसंस्करण शुल्क नहीं
- ब्याज दर 1 प्रतिषत मासिक
- कार्यषील पूॅजी ऋण मुद्रा कार्ड के माध्यम से दिये जायेगें जो डेबिट और केडिट दोनो का काम करेगा।
- ऋण की अधिकतम उपलब्ध 5 वर्ष

प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना एक उपयोगी योजना है। जिससे श्रमिको स्वरोजगारियों स्वव्यवसाथियों व अन्य लोगो को किफायती कर्ज या ऋण प्राप्त होते है। जिससे वे अपने व्यवसाय को बढा सके और देष के उत्पादक अंग के रूप में उभरकर सामने आये और देष को प्रगती के षिखर पर पहुचाने में अपना योगदान दे सके।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना :

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 01 अगस्त 2014 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गो के लिए स्वयं की उद्योग विनिर्माण सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जायेगा। (योजना के क्रियान्वयन स्वरोजगार योजनायें संचालित किये जाने वाले समस्त विभागों द्वारा इस योजना का संचालन अपने–अपने विभागीय अमले एवं बजट से किया जायेगा)। 01 अगस्त 2014 के पूर्व यह समस्त विभाग अपने–अपने लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। स्वरोजगार योजना के समन्वय एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा। इन निर्देशों के अन्तर्गत विभाग पूर्वक निर्देश जारी करेंगे।

पात्रता :

- योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमी को देय होगा, जो मध्यप्रदेश की सीमा के अन्दर स्थापित हों)
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और न्यूनतम 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो (स्वप्रमाणीकरण के आधार पर) आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता अशोधी नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
- सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

वित्तीय सहायता :

- इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रूपये 20 हजार से अधिकतम रूपये 10 लाख तक होगी।
- इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता निम्नानुसार होगी – सामान्य वर्ग हेतु 15 प्रतिशत (अधिकतम रूपये एक लाख) बीपीएल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य

पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्त जन हेतु 30 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 2 लाख)

- इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम 25 हजार प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान अधिकतम 07 वर्ष तक देय होगी।

- इस योजना के अन्तर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 07 वर्ष तक देय होगी।

आवेदन पत्रों का निराकरण :

- सभी सम्बन्धित विभागों में प्राप्त आवेदन पत्र योजनान्तर्गत गठित विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

- विभागों को चयन समिति गठन करने का अधिकार होगा। विभागीय चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी – सम्बन्धित विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख अध्यक्ष जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक/प्रतिनिधि/ सदस्य, सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्यम संस्थान इन्दौर की प्रतिनिधि सदस्य, कोई एक राष्ट्रीकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि सदस्य, परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण/ प्रतिनिधि सदस्य, सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबंधक /प्रतिनिधि सदस्य, आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक कालेज के प्रतिनिधि सदस्य/सम्बन्धित विभाग के योजना प्रभारी सदस्य सचिव। इस संबंध में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी निम्न सारणी क्रमांक 3 में प्रस्तुत है।

सारणी क्रमांक 3

रीवा जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी

(वर्ष 2014–15 से वर्ष 2016–17 तक)

वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17
लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या	658	635	416
व्यय राशि (लाख में)	1274.00	3175.00	1242.00

स्त्रोत : महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (म.प्र.)

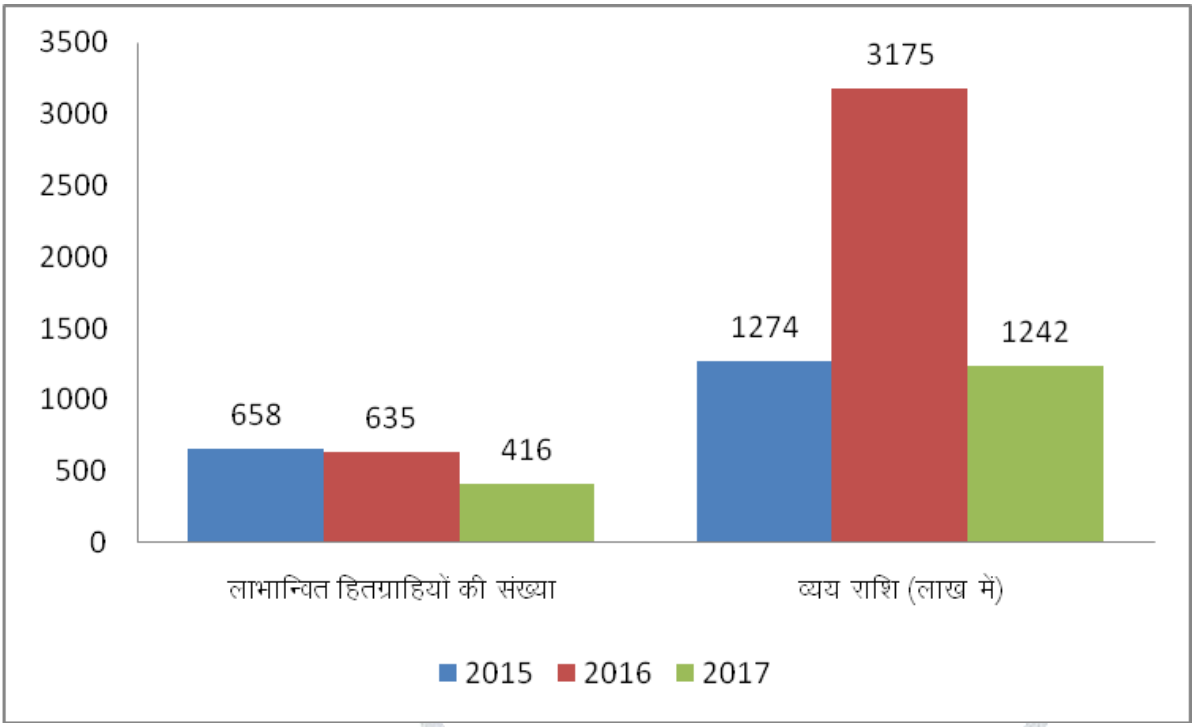

आरेख क्रमांक 2 : रीवा जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रीवा जिले में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या वर्ष 2014–15 में 658, वर्ष 2015–16 में 635 की संख्या तथा वर्ष 2016–17 में घटकर 416 संख्या में इस प्रकार हितग्राहियों में व्यय की गई राशि वर्ष 2014–15 में 1274.00 लाख रुपये वर्ष 2015–16 में 1375.00 लाख और सबसे कम व्यय राशि 2016–17 में 1242.00 लाख रुपये रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों की संख्या और व्यय राशि में स्थिति असमान रही है।

▶ सुझाव :–

- प्रषिक्षण एवं आर्थिक विकास प्रोग्राम के उद्देष्य को आम जन तक पहुॅचाने के लिए पोलियों अभियान की तरह घर–घर जाकर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
- श्रमिकों एवं स्वरोजगारियों को समाज में उचित सम्मन दिलाना चाहिए। ताकि वह सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर एक बेहतर श्रमिक या उद्यमी बन सके।
- प्रषिक्षण एवं आर्थिक प्रोग्राम से प्रषिक्षण तथा प्रमाण–पत्र प्राप्त छात्रों को स्वयं का व्यवसाय करने के लिए आवष्यक पूॅजी तथा मषीनरी नई तकनीकि एवं अन्य आवष्यक सुविधाआं के लिए अलग से एक (स्कीम) प्रारंभ करना चाहिए। परम्परागत व्यवसाय एवं अन्य सूक्ष्म लघु उद्योगों के अंतर्गत निर्मित उत्पादों

को वैज्ञानिक ढंग से उत्पाादित किया जाना चाहिए, कौषल विकास कार्यक्रम से प्रषिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए कैम्पस सलेक्सन को प्रोत्साहन देना चाहिए।

- ऋण सुविधाएं आसान किष्तों में एवं कम ब्याज दरों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- बैंकिंग सुविधाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए।
- मन्दी काल एवं अन्य आर्थिक संकट के समय ऋण उगाही में छूट एवं दीर्घावधि में वसूल किया जाना चाहिए।

▶ निष्कर्ष :–

प्रषिक्षण एवं आर्थिक विकास प्रोग्राम अर्थव्यवस्था, रोजगार और स्वरोजगार वृद्धि की रीढ़ है। वर्तमान में भारत देष पूरे विष्व में गौरवषाली पहचान रखता है। तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन के विषाल स्त्रोत भारत की प्रमुख शक्तियाँ हैं। इन्हें सुदृढ़ बनाने के लिये प्रषिक्षण प्रोग्राम के द्वारा मानव संसाधन को उच्च मानकों के साथ तीव्र गति से व्यापक स्तर पर कौषल प्रदान कर उनका सषक्तीकरण किया जा रहा है। जिससे सम्पत्ति और रोजगार के नये आयाम विकसित हो रहे हैं। जिसके फलस्वरूप नागरिकों के लिए सत्त आजीविका सुनिष्चित होती है। परम्परागत रूप से चलाये जा रहे स्वरोजगार एवं परम्परागत हुनर या कौषल का विकास किया जा रहा है।

कौषल विकास कार्यक्रम कौषल विकास उद्यमिता मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालय के अन्तर्गत संचालित होते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रषिक्षण प्राप्त करने के लिए आई0टी0आई0, व्ही0टी0पी0 पॉलिटेक्निक, ATI, RVTI, NVTI एवं अन्य सरकारी योजनाएँ संचालित हो रही हैं। व्यवस्थागत हस्तक्षेप के लिए श्रम बाजार सूचना प्रणाली (LMLTS) राष्ट्रीय कौषल योग्यता फ्रेमवर्क (MSQF), राष्ट्रीय पेषेवर मानक (NOS) एवं अन्य मानक या मूल्यांकन है। प्रषिक्षण प्रोग्राम में आवष्यक वित्तीय सहायता बजट के माध्यम से प्राप्त होती है। प्रषिक्षण साझेदारों को NSDC से निजी ऋण प्राप्त होते हैं। विभिन्न मंत्रालय विभागों एवं राज्यो में कौषल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में ताल मेल बैठाने के लिए साझे नियम अधिसूचित किये गये हैं।

रोजगार या स्वरोजगार के लिए विधि प्रबंध भी आवष्यक है। किसी भी देष की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए न्यायोचित निष्पक्ष पारदर्षी तथा भेदभाव रहित कराधान प्रणाली आवष्यक होती है। वर्तमान सरकान ने भारतीय कर प्रणाली में कुछ सुधार किये हैं। जिस वजह से देष में विदेषी निवेष का प्रतिषत बढ़ा है। राजा चेलैया समिति को सरकार ने गठित किया था। जिसका काम भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए कार्य सूची तैयार करना था। इस समिति ने कुछ उपाय भी बताये थे। जिस पर शुरू किये गये सुधार आज भी जारी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

क्र.	लेखक का नाम		ग्रन्थ का नाम, प्रकाशक
01	यादव, बी.एस. सिंह रिचा, शर्मा, नंदिनी	:	भारतीय अर्थव्यवस्था, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, 2008, नई दिल्ली, 110002
02	एस. पूनिया बीरेन्द्र	:	औद्योगिक सम्बन्ध एवं सामाजिक सुरक्षा, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, 2011, नई दिल्ली, 110002
03	अग्रवाल, प्रो. आर.सी.	:	प्रबंध के सिद्धांत, साहित्य भवन आगरा, वर्ष 2009
04	मौर्य, एम.एल.	:	श्रम अर्थशास्त्र, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन 22/4735 प्रकाश दीप बिल्डिंग, अंसारी रोड़, दरियागंज, 2012, नई दिल्ली, 110002
05.	अग्रवाल, प्रो. आर.सी.	:	उद्यमिता, साहित्य भवन आगरा, वर्ष 2008
06	अग्रवाल, डॉ. पी.के. एवं उपेन्द्र कुमार	:	वित्तीय बाजार परिचालन, साहित्य भवन आगरा, वर्ष 2007
07	अग्रवाल, डॉ. जी.के.	:	सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, साहित्य भवन आगरा, वर्ष 2013
08	अग्रवाल, डॉ. पी.के. एवं मिश्रा, अवनीश कुमार	:	व्यावसायिक संचार, साहित्य भवन आगरा, वर्ष 2010
09.	अग्रवाल एवं मिश्रा	:	व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत एवं उद्यमिता, साहित्य भवन आगरा, वर्ष 2012
10.	बघेल, डॉ. डी.एस.	:	सामाजिक अनुसंधान, साहित्य भवन आगरा, वर्ष 2012

समाचार पत्र :–

टाइम्स आफ इण्डिया नई दिल्ली दैनिक, दैनिक जागरण प्रकाशन रीवा, दैनिक भास्कर प्रकाशन रीवा, पत्रिका (समाचार पत्र), नवस्वदेश प्रकाशन रीवा दैनिक, मध्यप्रदेश क्रॉनिकल भोपाल, नई दुनिया प्रकाशन इन्दौर दैनिक, आज–इलाहाबाद/लखनऊ, विश्वमित्र–पटना (विहार), रोजगार समाचार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली (साप्ताहिक) रोजगार और निर्माण सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भोपाल (साप्ताहिक)।